

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt No. *C/1040* /
III-6-4/10

Jabalpur, dated/02/2022 *15/3*

Copy of Notification No. 531/21-B(1)/2022 dated 04-03-2021 in respect of appointment of Special Judge u/s 22(1) of the NIA Act, 2008 at District Ujjain is forwarded to :-

01. The Principal District & Sessions Judges,
.....
02. The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur /
Indore / Gwalior;
03. The Registrar, High Court of Madhya Pradesh;
Bench at Indore/Gwalior;
04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(VI.)(J-1) (J-II) High
Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
05. Shri/Smt
06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of
Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter
before his Lordship;
07. P.S. to Registrar General/Registrar (Judl)/ Registrar
(I & V)/ Registrar (Examination)/ Registrar (I. L.R.)
/Registrar(DE) High court of Madhya Pradesh
Jabalpur;
08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State
Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh,
Jabalpur;
09. Joint Registrar Confdl./ Admn. Officer (Checker /
W.S./ Budget, High Court of Madhya Pradesh,
Jabalpur;

Vivek Saxena
15-3-2022
(VIVEK SAXENA)
REGISTRAR (DE)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक /02/2022

फा.क्रमांक 531/21-ब(एक)/2022,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 48 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
"48.	उज्जैन	श्री अश्वाक अहमद खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, उज्जैन।"

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No. 531/2022,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 48 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	District	Proposed name of Session Judge / Special Judge / ASJ to be designated as Special Judge, u/s 22 of NIA Act.
"48.	Ujjain	Shri Ashvaque Ahamad Khan, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Ujjain

//2//

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(बी.के. द्विवेदी)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र0 531/21-ब(एक)/2022,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02/03 2022

S.P.

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक C/49/III-6-4/10, दिनांक 28.01.2022 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली
4. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, बुरहानपुर, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर, जावरा/रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन एवं उमरिया मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
7. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(उमेश पांडव)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
16 MAR 2022
Reg No. 298
Resist Clk R. (1)

DAIN
MM
10-08